2017/000085

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

समक्ष आसीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या : 64 / 2017

1–मुरारी पुत्रश्री फतेसिह 2–अंगूरी पुत्री राजाराम पत्नी मुरारी जातिगण कुशवाह निवासीगण ऊँची का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–भोंदू 2–फतेसिह पुत्रगण लटूरी 3–रेवती 4–पूरन पुत्रगण जुगतू 5–माया पुत्री जुगतू 6–गंगाराम पुत्र ल्होरे समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ऊँची का पुरा तहसील सैपऊ
7–पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रवन्धक
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.....प्रतिवादीगण

दावा इश्करार हक व स्थाई
निषेधाज्ञा धारा 88,53 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *रामअवतौर गौड एडवोकेट* ..... (वादीगण)

निर्णय दिनांक 31.07.2019

वादीगणो द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1971, 1976, 1977, 1982, 2235 / 1980 स्थित वाके ग्राम पाटे का पुरा तहसील सैपऊ में 1 / 6 भाग के खातेदार काश्तकार रामदयाल पुत्र लटूरी जाति कुशवाह निवासी ऊँची का पुरा तह0 सैपऊ थे तथा उपरिवर्णित आराजीयात में रामदयाल उपरोक्त मुताविक हिस्सा जीवन पर्यन्त काविज काश्त रहे है। रामदयाल वादीगण के साथ ही रहते थे वादीगण ही उनकी सेवा सुश्रृषा करते थे तथा काश्त में सहयोग करते थे, वादीगण की सेवा सुश्रृषा से प्रसन्न होकर रामदयाल ने उपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति के बावत वसीयत स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्वि की अवस्था में बिना किसी नसे पत्ते के वादीगण के हक में बहिस्सा बराबर दिनांक 09.06.1989 को तहरीर व तकमील कर गवाही गवाहन कराकर उपपंजीयक सैपऊ के समक्ष दिनांक 14.06.1989 को पंजीबद्व करवा दी। कालांतर मे रामदयाल का निधन हों गया जिसका अंतिम संस्कार व तेरहवी इत्यादि वादीगण ने ही सपन्न की , रामदयाल के निधन के उपरान्त वादीगण विवादित आराजी में रामदयाल द्वारा छोडे गये भाग पर बतौर खातेदार काश्तकार के काविज काश्त है। वादीगण ने असल वलीयत तारीखी 09.06.1989 पंजीयन दिनांक 14.06.1989 वास्ते दाखिल खारिज हल्का पटवारी को देदी वादीगण इस विश्वास में रहे कि उनके नाम मृतक रामदयाल द्वारा छोडे गये सम्पूर्ण हिस्से पर वादीगण के नाम दाखिल खारिज हो चुका है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर वादीगण को ज्ञात हुआ कि विवादित आराजीयात के अतिरिक्त दीगर आराजी काश्त स्थित ग्राम करैदा पर

गण के हक में जरिये इन्तकाल नम्बर 554 दाखिल खारिज हो चुका है। अभी तक विवादित आराजी पर मृतक रामदयाल के स्थान पर वादीगण के नाम दाखिल खारिज नही हुआ है। अर्सा करीव 10 दिवस पूर्व वादीगण विवादित आराजी पर फसल बोने गये तो प्रतिवादीगण हकूक वादीगण से इन्कारी हों गये तथा वादीगण को एलानियां धमकी दी कि हम किसी वसीयत को नही मानते तथा आगे सें विवादित आराजी पर तुम्हे काश्त नही करने देगें तथा मौके पर से बैदखल कर देगें। ऐसी स्थिति में वादीगण को यह आवश्यक हो गया है कि विवादित आराजी में अपने हकूक खातेदारी न्यायालय द्वारा घोषित करावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करावे कि वह वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करें। विनाय मुखासमत विनाबर दायरी दावा अर्सा करीव 10 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा हकूक वादीगण से इन्कारी होने पर तथा विवादित आराजी पर वादीगण को काश्त नही करने देने की धमकी देने पर अन्दर अदूद अदालत हाजा के पैदा हुई जो निरन्तर जारी है।

अंन्त में निवेदन किया है कि विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउन्ड्स बटवारा किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी में मुताबिक वसीयत 1/6 भाग पर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावें कि वह वादीगण के शान्तिपूर्व कब्जें काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें और नाही अपने ऐजेन्टो से करावें तथा तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही । अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी तथा विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाऊन्ड्स बटवारा कराने निवेदन किया। ।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकुपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजी साक्ष्य एंव दस्तावेजो का अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वादीगण को विवादित आराजी में 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को विवादित आराजी में 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती की जावें, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांवन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जें काश्त की आराजीं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें और नाही अपने ऐजेन्टो से करावें। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिंह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ